

भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के खण्ड तृतीय के नीलाम होने वाली 900 यूकोलिप्टस (12-14 इंच व्यास) के पेड़ों की नीलामी हेतु निविदा फार्म

1.	निविदाकर्ता / बोलीकर्ता का नाम	:	
2.	पत्राचार का पूर्ण पता	:	
3.	दूरभाष / मोबाईल नम्बर	:	
4.	निविदा खुलने की तिथि, समय व स्थान	:	16.03.2017 को 11.30 बजे पूर्वान्ह संस्थान के द्वितीय परिसर पर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

भा.कृ.अ.प.-केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के खण्ड तृतीय के नीलाम होने वाली 900 यूकोलिप्टस(12-14 इंच व्यास) के पेड़ों की नीलामी हेतु निविदा फार्म
(निविदाकर्ता की प्रति)

1.	निविदाकर्ता / बोलीकर्ता का नाम	:	
2.	पत्राचार का पूर्ण पता	:	
3.	दूरभाष / मोबाईल नम्बर	:	
4.	निविदा खुलने की तिथि, समय व स्थान	:	16.03.2017 को 11.30 बजे पूर्वान्ह संस्थान के द्वितीय परिसर पर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नोट:- संस्थान से यूकोलिप्टस पेड़ों को काटने व ले जाने की पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा वन विभाग से पेड़ों को काटने की अनुमति भी फर्म को लेनी होगी।

Terms and conditions of Tender-cum- Auction

1.	The tenderer may be inspect the standing trees to be auctioned on any working days starting from 06-03-2017 to 15-03-2017 between 11.00 am to 4.00 pm. With the permission of the Farm Incharge/nominated technical officer by the concerned Incharge.
2.	Tenderer/Bidder can download the Tender Form from the website of the Institute (website : www.cish.res.in) The tenderer should enclose the Bank Draft of the value of Tender Form Rs. 500.00 along with the duly filled Tender Form.
3.	(i)The Earnest money for the trees of Rehmankhhera, which are to be auctioned should be deposited in the form of Crossed Demand Draft/Banker's Cheque of Rs.25,000.00 in favour of <u>"ICAR Unit-CISH, Lucknow"</u> by the bidder/tenderer along with the tender form. <u>The bid/tender will not be considered if the earnest money in the form of Demand Draft is NOT ENCLOSED ALONG WITH THE TENDER.</u> No request for transfer of any previous deposit of earnest money will be entertained. The No. and date of demand draft should be indicated in the tender form. (ii)The Tenderer/bidder should sign on the tender form, without which the bid is liable to be rejected.
4.	No cash transactions for payment of EMD will be entertained.
5.	The tenderer should furnish his full name and address on the tender form with telephone/mobile number along with the identity proof.
6.	The auction price quoted in the tender must be per lump sum in respect of the trees proposed to be auctioned and should be mentioned clearly in the enclosed FORM, which is required to be dropped in the tender box placed in the administrative section of this office along with earnest money in a sealed cover.
7.	The tender should be submitted in a sealed cover marked "Tender for Purchase of Eucalyptus tree". The tender will also be accepted by Registered Post on or before due date i.e. 15-03-2017 upto 4.00 pm.
8.	Last date and time for receipt of tender is 15-03-2017 upto 4.00 pm in the office located at CISH, Rehmankhhera, P.O. Kakori, Lucknow- 226 101.
9.	(a) Time and date of opening of tender as mentioned in the tender documents will be on 16-03-2017 at 11.30 am at Block-IIInd of CISH, Rehmankhhera, Lucknow-226 101.

10.	OPENING OF TENDER : The Bidders/tenderers are at liberty to be present or authorize in writing a representative to be present at the time of bid/opening of tender and if required open auction will be held only among the bidders.
11.	MODE OF PAYMENT : 1/3 rd of the bid amount has to be deposited on the spot and rest of the payment of the bid amount to be paid by bank draft/ cash within 3 days from the date of opening of the tender/ auction by the successful bidder/ tenderer. before commencement of harvest. No part payments of the bid will be accepted. If the successful bidder fails to comply with the payments with in stipulated time, the EMD deposited shall be forfeited.
12.	The successful bidder should not sub-lease the tender and in the event of subleasing the tender, the entire amount shall forfeited as per rules.
13.	The tenderer shall take the trees only on working days and facilitates the day- to-day record to the Scientist/Technician of the Institute upon request. The Tenderer will take out the trees only after obtaining gate pass.
14.	The tenderer shall have no objections for the officials of this Institute to carry out the research activities/ farm operations of routine nature by this Institute including plant propagation activities.
15.	Except the EMD of the successful bidder, all the next highest bidder, the EMD of all the unsuccessful bidder's received through Demand Draft will be returned immediately to the concerned on the spot after the process of bid/ auction is completed.
16.	WATCH & WARD : Watch and ward arrangements are required to be made by the successful bidder/ tenderer themselves immediately after the award of bid and due permission of the Institute for the stay in the Institute premises should be obtained from the Chairman(Security) of the Institute and the Institute will not be responsible for the theft and damages.
17.	The trees will be cut down/tenderer under the supervision of Block incharge by his own labourers during the working days. No child labour shall be employed for any of the works involved.
18.	The Block(s)/ areas including in the tender may or may not be irrigated during the period of tender.
19.	The bidders/ tenderer violating any of the above terms and conditions would stand to forfeit the EMD of the bid amount and the Director, CISH, Lucknow, reserves the right to execute this clause. No complaint would be entertained in this regard.

20.	LAST DATE for completion of work as mentioned in the tender will be 30-03-2017 .
21.	The Institute functions under the provision of RTI Act, 2005 : All information provided by the bidder under the act is liable to be disclosed.
22.	RIGHT OF ACCEPTANCE: The Institute in its absolute right, any accept the highest bid or any tender and reserves the right of accepting the whole or any part of the tender or portion of the rate quoted.
23.	ARBITRATION: In the event of any dispute in this regard the right of adjudication shall rest with the Director, ICAR- Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow and the final decision will be binding on all parties.
24.	AGREEMENT & SECURITY DEPOSIT: The successful bidder/ tenderer should execute an agreement on a non-judicial stamp paper worth Rs. 100.00.

I have understood all the above and I hereby accept to abide all the above mentioned terms * conditions.

Signature of the Tenderer

Name :

Full Address :

नियम व शर्तें

1.	जिन पेड़ों की नीलामी होनी है उन का निरीक्षण निविदाकर्ता किसी भी कार्य दिवस में 06.03.2017 से 15.03.2017 तक 11 बजे पूर्वान्ह से 4 बजे के बीच फार्म प्रभारी अथवा उनके द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी की सहमति प्राप्त करने के उपरान्त कर सकता है।
2.	निविदा फार्म संस्थान की वेबसाइट www.cish.res.in से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। इस माध्यम से प्राप्त किये गये निविदा फार्म के साथ रु. 500.00 मात्र का बैंक ड्राफ्ट (निविदा फार्म का मूल्य) भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
3.	(I) निविदाकर्ता को भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ की नीलाम होने वाले 900 यूकोलिप्टस के पेड़ो हेतु जमा किये जाने वाली ई0एम0डी0 रु0 25,000.00 रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से रहमानखेड़ा कार्यालय में टेण्डर फार्म के साथ जमा करना होगा तथा इसका नम्बर तथा तिथि टेण्डर फार्म में अंकित करें, रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक “ICAR-UNIT, CISH, Lucknow” के पक्ष में देय होगा। बिना ई0एम0डी0 की राशि के टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं होगा। इस सम्बन्ध में संस्थान में पूर्व में जमा किसी भी प्रकार की राशि समायोजित नहीं की जायेगी। (II) निविदा फार्म पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर अंकित होना आवश्यक है। इसके बिना निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
4.	ई0एम0डी0 की राशि नकद रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी।
5.	टेण्डर फार्म में निविदाकर्ता का पूर्ण नाम व पता तथा पहचान पत्र व टेलीफोन/मोबाईल नं0 सहित अंकित होना चाहिये।
6.	निविदा में लिखी राशि एक मुश्त कटाई से पूर्व संस्थान में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी जिसका विवरण टेण्डर फार्म में दिया जाना चाहिए। जिसकी द्वितीय प्रति निविदाकार के पास रह जायेगी।
7.	टेण्डर फार्म एक बंद लिफाफे में होना चाहिये जिस पर साफ शब्दों में “भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के “यूकोलिप्टस के पेड़ों जिसके लिये निविदा करनी हो” अंकित होना चाहिये तथा निर्धारित तिथि 15.03.2017 को सांय 4.00 बजे के भीतर हस्तगत/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पहुँच जाना चाहिये।
8.	टेण्डर फार्म दिनांक 15.03.2017 सांय 4.00 बजे तक भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ के द्वितीय ब्लॉक स्थित कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं।
9.	(अ) टेण्डर दिनांक 16.03.2017 को 11.30 बजे संस्थान के द्वितीय ब्लॉक परिसर, रहमानखेड़ा, लखनऊ में खोले जायेंगे।

10.	टेण्डर खुलने के समय निविदाकर्ता अथवा उसके द्वारा नामित कोई एक व्यक्ति टेण्डर खुलने के स्थान पर उपस्थित रह सकता है।
11.	जिसके पक्ष में नीलामी होगी उस निविदाकर्ता/ बोलीकर्ता को बोली का 1/3 प्रतिशत भाग मौके पर तुरन्त जमा करना होगा व शेष भुगतान तीन दिनों के भीतर संस्थान में रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा करना होगा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आंशिक भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा, ऐसा न करने की अवस्था में पूर्व में जमा की गई जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
12.	जिसके पक्ष में नीलामी होगी वह निविदाकर्ता/ बोलीकर्ता टेण्डर किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकता ऐसा होने की दशा में जमा की हुई राशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी तथा दूसरे सबसे ऊँची बोली बोलने वाले बोलीकर्ता/ निविदाकर्ता को कार्य हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
13.	पेड़ों की कटाई का कार्य कार्यदिवस में ही किया जायेगा और प्रतिदिन के पेड़ों की कटाई का लेखा जोखा रखा जाना अनिवार्य होगा। जिसका निरीक्षण संस्थान के वैज्ञानिक अथवा उनके द्वारा नामित तकनीकी अधिकारी द्वारा कभी भी किया जा सकता है।
14.	निविदाकर्ता/ बोलीकर्ता को रोजमर्रा के होने वाले शोध कार्य, पौधा रोपड़ इत्यादि से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।
15.	जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी उसे छोड़कर अन्य सभी निविदाकर्ताओं/ बोलीकर्ताओं की ई0एम0डी0 की राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी स्थल पर ही नीलामी समाप्त होने के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
16.	नीलाम पेड़ों की देख-रेख एवं सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी नीलामी के उपरान्त निविदाकर्ता/ बोलीकर्ता की होगी, संस्थान किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
17.	नीलाम पेड़ों की तुड़ाई का कार्य निविदाकर्ता/बोलीकर्ता द्वारा उसके श्रमिकों के माध्यम से फार्म प्रभारी की देख-रेख में कार्यदिवसों में ही किया जायेगा। इस कार्य के लिए किसी भी बाल श्रमिक को नहीं लगाया जायेगा।
18.	नीलामी की अवधि के दौरान नीलाम हुये पेड़ों में सिंचाई करवायी जाये यह आवश्यक नहीं है।
19.	यदि निविदाकर्ता/ बोलीकर्ता उपरोक्त किसी भी शर्तों का उलंघन करता है तो जमा की गई जमानत राशि जब्त करने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास सुरक्षित रहेगा।

20.	नीलाम हुए पेड़ों की कटाई की अन्तिम तारीख 30.03.2017 होगी ।
21.	हमारा संस्थान RTI Act, 2005 के अन्तर्गत आता है, अतः हमारा संस्थान आपके द्वारा दी गयी सभी जानकारी इस RTI Act, 2005 के अन्तर्गत किसी को भी बताने के लिए बाध्य है ।
22.	निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ के पास उच्च बोली स्वीकार करने निविदा की राशि को तथा टेण्डर को पूरा या आंशिक या उसके एक भाग को स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
23.	इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद होने की दशा में निदेशक, केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, लखनऊ का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी के लिये मान्य होगा ।
24.	जिसके पक्ष में नीलामी होगी ऐसे निविदाकर्ता/बोलीकर्ता को निविदा खुलने/ बोली लगाने की तिथि से सात दिनों के भीतर रु.100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा ।
25.	अंग्रेजी व हिन्दी अनुवाद में भिन्नता पाये जाने पर अंग्रेजी वाला ही मूल माना जायेगा ।

उपरोक्त समस्त शर्तें मैने पढ़ व समझ ली है तथा मुझे मान्य है ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पूर्ण पता:

मो0नं0